न्यायालय सिविल जज (सीनियर डिवीजन), इटावा।

उपस्थितः प्रज्ञा सिंह–II .....उ०प्र० न्यायिक सेवा।

(J.O. ID. UP-01949)

UPEW050000722023

लोक अदालत

मूल प्रकीर्ण वाद संख्या–04/2023

1. महेश बाबू पुत्र स्व० शिवचरन लाल उम्र लगभग 62 वर्ष निवासी –आसई, तहसील चकरनगर जिला इटावा, हाल निवासी म०नं०–88, लुधियानी भरईपुर लुधियानी, भरथना इटावा। (पुत्र)
2. दिनेश कुमार पुत्र स्व० शिवचरन उम्र लगभग 60 वर्ष निवासी –ददोरा मार्ग, आसई जिला इटावा। (पुत्र)
3. माया देवी पत्नी स्व० रमेश बाबू उम्र लगभग 64 वर्ष निवासी–आसई, तहसील चकरनगर जिला इटावा। हाल निवासी–अन्नपूर्णा मिल पेंच रामलीला रोड मोहल्ला पेंच जिला इटावा। (विधवा पुत्रवधू)
4. मीना देवी पत्नी स्व० गणेश कुमार उम्र लगभग 53 वर्ष निवासी–आसई, तहसील चकरनगर जिला इटावा, हाल निवासी लुधियानी जिला इटावा। (विधवा पुत्रवधू)

.....आवेदकगण

बनाम

1. संतोषी देवी पुत्री स्व० शिवचरन पत्नी महेश बाबू उम्र लगभग 48 वर्ष निवासी–चन्द्रपुरा मौजा सिंहुआ, भरथना इटावा। (पुत्री)
2. संजीव कुमार पुत्र स्व० रमेश बाबू उम्र लगभग 45 वर्ष निवासी– आसई, तहसील चकरनगर जिला इटावा, हाल निवासी अन्नपूर्णा मिल, पेंच रामलीला रोड, जिला इटावा। (पौत्र)
3. राजीव कुमार पुत्र स्व० रमेश बाबू उम्र लगभग 43 वर्ष निवासी– आसई, तहसील चकरनगर जिला इटावा, हाल निवासी अन्नपूर्णा मिल, पेंच रामलीला रोड, जिला इटावा। (पौत्र)
4. विमल कुमार पुत्र स्व० गणेश कुमार उम्र लगभग 27 वर्ष निवासी – आसई, तहसील चकरनगर जिला इटावा, हाल निवासी भरईपुर, लुधियानी भरथना जिला इटावा। (पौत्र)
5. विकास पुत्र स्व० गणेश कुमार उम्र लगभग 23 वर्ष निवासी– आसई,

तहसील चकरनगर जिला इटावा, हाल निवासी भरईपुर, लुधियानी भरथना जिला इटावा। (पौत्र)

.....विपक्षीगण

–:<u>निर्णय</u>:–

प्रस्तुत मूल प्रकीर्ण वाद आवेदकगण 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम के अन्तर्गत मृतक शिवचरन लाल पुत्र रामलाल निवासी–आसई, तहसील चकरनगर जिला इटावा, हाल निवासी भरईपुर, लुधियानी भरथना जिला इटावा द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

संक्षेप में आवेदकगण का कथन इस प्रकार है कि आवेदकगण द्वारा शिवचरन लाल के नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ददौरा इटावा में खाता सं०–10754759103 में जमा धनराशि मु०–16,36,693.13/-रुपये जमा है। मृतक के उपरोक्त खाता में जमा धनराशि के बाबत आवेदकगण के उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने की प्रार्थना की गयी है। प्रार्थनापत्र 4 ग शपथपत्र 5 ग से समर्थित है।

विपक्षीगण की ओर से अनापत्ति कागज सं०–16 ग मय शपथपत्र कागज सं०–17 ग, 18 ग, 19 ग, 20 ग व 21 ग प्रस्तुत कर कहा गया है कि उपरोक्त वाद उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत कराये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है। उक्त धनराशि के सम्बन्ध में आवेदकगण के पक्ष में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत कर दिये जाने पर विपक्षीगण को कोई भी, किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है।

आवेदकगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में सूची 7 ग से एक किता मूल पासबुक भारतीय स्टेट बैंक कागज सं०–8 ग तथा सूची 31 ग से एक किता असल मृत्यु प्रमाणपत्र कागज सं०–32 ग, एक किता असल पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र कागज सं०–33 ग, दाखिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय स्टेट बैंक की वर्तमान अद्यतन आख्या कागज सं०–30 ग दाखिल किये गये है।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सविस्तार से सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन व उपलब्ध साक्ष्य से विदित होता है कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नगत वाद अन्तर्गत धारा 372 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम मृतक शिवचरन लाल द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी विदित होता है कि मृतक शिवचरन

लाल की मृत्यु दिनांक 27.05.2021 को हो गयी, जैसा कि मृत्यु प्रमाणपत्र कागज सं०–32ग से स्पष्ट होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी विदित होता है कि आवेदक सं०-1 व 2 मृतक के पुत्रगण, आवेदक सं०-3 ता 4 मृतक की विधवा पुत्रवधू हैं तथा विपक्षी सं०-1 मृतक की विवाहित पुत्री एवं विपक्षी सं०-2 ता 5 मृतक के पौत्रगण है, जैसा कि पारिवारिक सदस्यता प्रमाणपत्र कागज सं०-33ग से स्पष्ट होता है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से यह भी विदित होता है कि मृतक शिवचरन लाल के नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ददौरा इटावा में खाता सं०–10754759103 में जमा धनराशि मु०–16,36,693.13/-रुपये जमा है।

पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से विदित होता है कि प्रश्नगत प्रार्थनापत्र के दिये जाने के उपरान्त मुनादी करायी गयी, नोटिस जारी किया, प्रकाशन कराया गया, परन्तु किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गयी है, बल्कि विपक्षीगण की ओर से अनापत्ति प्रस्तुत करके कहा गया कि उन्हें आवेदकगण के हक में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने में कोई आपत्ति नहीं है।

अतः उपरोक्त समस्त परिचर्चा के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि आवेदक सं०–1 व 2 मृतक के पुत्रगण, आवेदक सं०–3 ता 4 मृतक की विधवा पुत्रवधू है, द्वारा प्रश्नगत वाद मृतक द्वारा छोड़ी गयी धनराशि के बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत करने हेतु प्रस्तुत किया है, जिसमें विपक्षी सं०–1 मृतक की विवाहित पुत्री एवं विपक्षी सं०–2 ता 5 मृतक के पौत्रगण हैं, की ओर से आवेदकगण के हक में प्रश्नगत धनराशि के बाबत उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने में कोई आपत्ति न होने का कथन किया गया है। मृतक शिवचरन लाल के नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ददौरा इटावा में खाता सं०–10754759103 में जमा धनराशि मु०–16,36,693.13/-रुपये जमा है। आवेदकगण द्वारा उपरोक्त धनराशि के बाबत ही उत्तराधिकार प्रमाणपत्र चाहा गया है। उपरोक्त धनराशि के बाबत आवेदकगण के हक में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र निर्गत किये जाने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र 4ग स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थनापत्र 4ग स्वीकार किया जाता है। आवेदकगण के हक में मृतक शिवचरन लाल पुत्र रामलाल निवासी–आसई, तहसील चकरनगर जिला इटावा, हाल निवासी भरईपुर, लुधियानी भरथना जिला इटावा के नाम स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ददौरा इटावा में खाता सं०–10754759103 में जमा धनराशि मु०–16,36,693.13/-रुपये की धनराशि का 1/4-1/4 भाग के सम्बन्ध में उत्तराधिकार प्रमाणपत्र वांछित न्यायशुल्क

तथा अण्डरटेकिंग अन्दर 15 दिन दाखिल करने पर उत्तराधिकार प्रमाणपत्र नियमानुसार जारी किया जावे।

मुंसरिम कोर्ट फीस के संबंध में अपनी आख्या प्रस्तुत करें।

आवेदकगण अण्डरटेकिंग व बंधपत्र इस आशय का प्रस्तुत करें कि यदि किसी न्यायालय द्वारा प्रश्नगत धनराशि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति के अधिकार को अधिमान्यता दी जाती है तो यह आच्छादित धनराशि के समतुल्य धनराशि बिना शर्त यथानिर्दिष्ट व्यक्ति को अविलम्ब प्रदान करेंगे।

धनराशि प्राप्त करने संबंध में मूल आवश्यक प्रपत्र आवेदकगण को नियमानुसार वापस किये जावे। उक्त प्रपत्रों की एक–एक छायाप्रति न्यायालय के अभिलेख हेतु पत्रावली पर रखी जाए। नियत समय में वांछित न्यायशुल्क, अण्डरटेकिंग, शपथपत्र दाखिल न किये जाने पर पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर की जावे।

दिनांकः 13.07.2024

(प्रज्ञा सिंह–II)
सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
इटावा।
(J.O. ID. UP-01949)

यह निर्णय आज मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित किया गया।

दिनांकः 13.07.2024

(प्रज्ञा सिंह–II)
सिविल जज (सीनियर डिवीजन)
इटावा।
(J.O. ID. UP-01949)